



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता महा प्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, टीपिका क्षेत्र द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल में राजस्व वन खसरा क्रमांक 288/1 की 0.093 है। राजस्व वन भूमि की मांग कोयला उत्थनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देश तथा प्रस्ताव में सम्मिलित शर्तों के अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: ०१/०५/२०१८

स्थान: रायपुर

(आर. के. सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़, रायपुर